माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /14 निगरानी आवेदन पत्र

1– मदनलाल पिता अंबाराम जाति जाति बलाई

2– संपतबाई विधवा अंबाराम जाति बलाई
समस्त निवासीगण ग्राम बामोरा तहसील
व जिला उज्जैन ---- आवेदकगण

R-1921-I/14

विरूद्ध

1– सोरमबाई पत्नि स्व. रामसिंह पुत्र मुन्नालाल

2– हीरालाल पिता तोलाराम जाति बलाई

3– कमल पिता तोलाराम जाति बलाई

4– ईश्वर पुत्र स्व. तोलाराम जाति बलाई

5– सायरबाई पुत्री स्व. तोलाराम जाति बलाई

6– सुगनबाई पुत्री स्व. तोलाराम जाति बलाई

7– संगीताबाई पुत्री स्व. तोलाराम जाति बलाई

8– कृष्णाबाई पुत्री स्व. तोलाराम जाति बलाई

9– धापूबाई पत्नि स्व. तोलाराम जाति बलाई

10– तेजु पिता अंबाराम जाति बलाई

11– अंतरसिंह पिता मुन्नालाल जाति बलाई

12– बाबूलाल पिता मुन्नालाल जाति बलाई

13– सरदार पिता मुन्नालाल जाति बलाई

14– भंवरबाई पुत्री मुन्नालाल जाति बलाई

15– रंभाबाई विधवा मुन्नालाल जाति बलाई

16– राजकुमार पिता स्व. रामसिंह पुत्र मुन्नालाल

17– ललिताबाई पुत्री स्व. रामसिंह पुत्र मुन्नालाल

18– शोभाबाई पुत्री स्व. रामसिंह पुत्र मुन्नालाल
समस्त निवासीगण ग्राम बामोरा तह. व
जिला उज्जैन

निरंतर..........2

19– राबिया बी पति अब्दुल रईस उर्फ अब्दुल रहीम, आयु अंदाजन 65 वर्ष, धंधा खेती निवासी खंदार मोहल्ला उज्जैन

------ अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959 म.प्र.

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील व जिला उज्जैन के द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 40/अ–6/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 26–4–2014 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष अंदर अवधि मे प्रस्तुत है:–

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगणो की ओर से निम्नांकित निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है:–

1– यह कि, सौरमबाई की ओर से एक आवेदन पत्र अतर्गत धारा 109, 110 म. प्र.भू.रा.सं. का प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नंबर 550/1 रकबा 1.830 आरे स्थित ग्राम बामोरा तहसील व जिला उज्जैन की भूमि पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे मृतक अंबाराम के विरूद्ध उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है, किंतु अंबाराम के वारिसों मे आवेदकगण मदनलाल पिता अंबाराम व संपतबाई विधवा अंबाराम को पक्षकार नही बनाया गया है। चुंकि खसरे मे अंबाराम के मरने के पश्चात् उनके वारिसान के नामांतरण का आदेश दिया गया है और खसरे मे मदनलाल पिता अंबाराम, संपतबाई विधवा अंबाराम तथा सुगनबाई पुत्री अंबाराम का नामांतरण हो जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरे मे अन्य लोगों के भी नाम होने से सभी को सुचना पत्र जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है और माननीय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से सौरमबाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय से सुचना पत्र क्रमांक 377/2013 सौरमबाई विरूद्ध अंबाराम के प्रकरण मे दिनांक 30–5–2013 को आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया है और सुनवाई हेतु दिनांक 06–06–2013 नियत की गई थी। दिनांक 11–06–2013 को सौरमबाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे आवेदकगणो को प्रकरण नकल दिये जाने हेतु नियत किया गया था किंतु सौरमबाई की ओर से प्रस्तुत आवेदन की नकल आवेदकगणों को नही दी गई इस कारण से आवेदकगणो की आरे से जवाब प्रस्तुत नही किया जा सका किंतु आवेदकगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नही की गई है।

02– यह कि, सौरमबाई की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा. सं. का स्वीकार किया जाकर सौरमबाई द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पत्र वपपस ले लिया गया है और राबिया बी के द्वारा प्रस्तुत नामांतरण अंतर्गत धारा 109, 110 म.प्र.भू.

निरंतर...........3

3

मदनलाल

नि.अं. संपतबाई

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1921-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एल. बकलिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	